

आदेश

शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-1973 दिनांक 05-03-74 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 राजस्व अधिनियम-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-68 (3) 3-2(6)/1979-राजस्व-1 दिनांक 01-07-1983 में प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये मैं अविनाश कुमार, जिलाधिकारी हरदोई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो ग्राम बेहन्दरखुर्द परगना व तहसील सण्डीला जनपद हरदोई में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :-

अनुसूची

क्र0 स0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0/ क्षेत्रफल (हे0 में)	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हरदोई	सण्डीला	सण्डीला	बेहन्दरखुर्द	2797ड./8.4151हे0 में से 4.0552हे0	श्रेणी-5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परती जदीद) नवीन परती खाते में दर्ज कागजात है।	वन विभाग के प्रयोजन हेतु उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में पुनर्गृहीत किया जाता है।

(अविनाश कुमार)
जिलाधिकारी, हरदोई।

संख्या व दिनांक :- यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
- 2- सचिव, उ0प्र0 शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-3, लखनऊ।
- 3- मुख्य कार्यालय अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), लखनऊ।
- 4- आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 5- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग हरदोई।
- 6- उप जिलाधिकारी सण्डीला को इस आशय से प्रेषित कि आदेश का अमल दरामद गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के पक्ष में कराकर खतौनी की प्रति अभिलेखार्थ उपलब्ध करायें तथा मौका पर कब्जा दिलाना सुनिश्चित करें।
- 7- अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम बेहन्दरखुर्द परगना व तहसील सण्डीला जनपद हरदोई।
- 8- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरदोई को इस निर्देश के साथ कि भूमि सम्बन्धी क्रय/पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण संबंधी दैनिक रिपोर्ट में उक्त को सम्मिलित करना सुनिश्चित करें।
- 9- गार्ड फाइल हेतु।

(अविनाश कुमार राय)
हिस्ट्री कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(अविनाश कुमार)
जिलाधिकारी, हरदोई।